

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

वीरराज अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा, अर ए एस  
राजस्व पार्थना-पत्र संख्या : 37/2025  
निर्णय दिनांक : 30.04.2025  
GCMS NO : 2025/80

हिरा लाल पुत्र मोहन लाल जाति कुम्हार(पजापति) निवासी इंदिर स्कूल के पीछे की रोड, वार्ड नं. 21  
करवा सुजानगढ़ जिला चूरु(चूरु)

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अपार्थी

प्रा. पत्र वाक्य रेकॉर्ड दुरुरती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपरिष्ठत :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता नरेश सीयर उपरिष्ठत।
2. अपार्थी पेशेकार राज उपरिष्ठत।

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, करवा, उपयोग-उपभोग के खेत खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 101 तादादी 1.4415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 64 तादादी 1.8841 हैक्टेयर, खसरा संख्या 72 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 4.0843 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम चककालिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिसके प्रार्थना-पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बंधित किया गया है।


प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम वीरुराम पुत्र मोहनराम दर्ज है, जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम हिरा लाल पुत्र मोहन लाल है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुरत करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम चककालिया में प्रार्थी का नाम वीरुराम पुत्र मोहनराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम हिरालाल पुत्र मोहनलाल है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हिरालाल पुत्र मोहनलाल किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, वार्ड पार्थद का प्रमाण पत्र आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम हिरालाल पुत्र मोहनलाल ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।




  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

2  
आदेश

सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 101 तादादी 1.4415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 64 तादादी 1.8841 हैक्टेयर, खसरा संख्या 72 तादादी 0.7587 हैक्टेयर, कुल कित्ता 3 कुल तादादी 4.0843 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम चककालिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज बीरूराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर हिरालाल पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

  
ओमप्रकाश वर्मा  
उपखण्ड अधीक्षी  
सुजानगढ़ (चूरु)  
सुजानगढ़

